झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय-सूची

प्रस्तावना।

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ।

2. झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम-2000 (अंगीकृत) की धारा-25 (i) में निम्न उपधारा-i (b) एवं i (c) समाविष्ट कर संशोधन।

<u>झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015</u>

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) के संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

<u>अध्याय-1</u>

<u>प्रारंभिक</u>

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ

(1) यह अधिनियम झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलायेगा।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(3) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

2. झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा-25 i में उपधारा- 25 i (ख) एवं 25 i (ग) निम्नरूपेण जोड़ा जाना है :-

"25 i (ख) भारत का संविधान के अुनच्छेद 321 के आलोक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक, सह-प्राध्यापक, प्रधानाचार्य, प्राध्यापक तथा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति जैसा परिनियम के संबंधित अनुच्छेद में विहित हो के अनुसार विधिवत स्वीकृत पद के विरूद्ध झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा चयन एवं अनुशंसा के आधार पर कुलपति द्वारा की जायेगी ।"

"25 i (ग) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के तृतीय वर्ग कर्मचारी (या ग्रेड वेतन के अनुसार) की नियुक्ति जैसा परिनियम के संबंधित अनुच्छेद में विहित हो के अनुसार विधिवत स्वीकृत पद के विरूद्ध झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन एवं अनुशंसा के आधार पर कुलपति द्वारा की जायेगी ।"

***

यह विधेयक झारखण्ड कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 दिनांक 28 अगस्त, 2015 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 28 अगस्त, 2015 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 37--50--8-9-2015 ।